



// पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सूचना //

महाविद्यालय में सत्र 2024-25 में प्रवेशित समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म वेबसाइट <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> में जाकर पूर्ण रूप से भर कर हार्डकापी निम्नलिखित दस्तावेजों सहित महाविद्यालय के कार्यालय में **दिनांक 31.12.2024 तक** अनिवार्य रूप से जमा करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् फार्म जमा नहीं लिया जायेगा जिसके लिये छात्रायें स्वयं जिम्मेदार होंगी।

छात्रायें आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज को इसी क्रम में व्यवस्थित करें :-

1. ऑनलाईन आवेदन फार्म की हार्डकापी।
2. निवास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। (सक्षम अधिकारी द्वारा व लोक सेवा केन्द्र से जारी किया हो)
3. जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। (सक्षम अधिकारी द्वारा व लोक सेवा केन्द्र से जारी किया हो)
4. आय प्रमाण-पत्र की मूलप्रति। (वर्ष 2023-24 के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पालक का आयप्रमाण पत्र ही मान्य होगा व लोक सेवा केन्द्र से जारी होना चाहिए, विद्यार्थी के स्वयं के नाम से जारी आय प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।)
5. आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
6. पूर्व कक्षाओं का सत्यापित अंकसूची। (10वी., 12वी., प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष)
7. पढ़ाई में गेप/अंतराल होने की स्थिति में गेप सर्टिफिकेट संलग्न करें।
8. विद्यार्थी के स्वयं के बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें खाता क्रमांक व आई.एफ.एस.सी. कोड अंकित हो व अंतिम ट्रांजेक्शन पृष्ठों की स्पष्ट छायाप्रति जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। (वर्तमान में बैंक खाता में न्यूनतम राशि 1000/- जमा हो व खाता में लेन-देन हुआ हो।)
9. नोटरी किया हुआ, विद्यार्थी व पालक का शपथ पत्र।
10. राशनकार्ड की छायाप्रति।
11. विद्यार्थी का बैंक खाता अपडेट रखने के संबंध में आवेदन पत्र।
12. महाविद्यालय के प्रवेश कार्ड की छायाप्रति।
13. महाविद्यालय द्वारा ली गई सभी फीस रसीद की छायाप्रति।
14. हॉस्टल में रहने वाली छात्रायें हॉस्टल में रहने का प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करें।

क्रमशः

नोट :-

1. नवीनीकरण की छात्राओं को पूर्व वर्ष की आय प्रमाण पत्र जिसे पोर्टल में अपलोड किया गया है की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है।
2. वर्ष 2024-25 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से OTR No. की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय की जानी है। OTR नंबर हेतु Google Play Store से **NSP OTR APP** एवं **FACE RD APP** डाउनलोड कर चाही गई जानकारी प्रविष्टि कर जनरेट कर सकते हैं।
3. जो छात्रायें बी.पी.एल., अल्पसंख्यक, नौनिहाल छात्रवृत्ति या शासन द्वारा संचालित अन्य कोई भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर चुके हैं ऐसे छात्रायें इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. छात्रा का नाम, जन्मतिथि, आधार कार्ड, मार्कशीट एवं बैंक पासबुक में एक समान होना चाहिए। यदि छात्रा का नाम अलग-अलग है तो सुधार करवा लेवे।
5. आधार नंबर, बैंक खाता से सीडिंग होना आवश्यक है। बैंक खाता में आधार से सीडिंग नहीं होने पर आवेदन फार्म जमा नहीं लिया जाएगा।
6. छात्रायें अपना स्वयं का ही मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आईडी फार्म में अंकित करें।


(डॉ. जे.एल. पाटले)
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति


(डॉ. अनिता राजपुरिया)
प्राचार्य
सासलीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय
छमत्तरी (छ.प.)

**कार्यालय कलेक्टर(आदिवासी विकास),
जिला-धमतरी (छ0ग0)**

E-mail- tribal.dmt@gmail.com Phone No- 07722-232142, Fax no.- 07722-232143

// प्रेस विज्ञप्ति //

कमांक / 2063 / आदि.वि. / पो.मै.छा. / न.क.-240 / 2024-25 धमतरी, दिनांक 25 / 10 / 2024

वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक आदि में के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2024-25 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जा रही है:-

क	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	दिनांक 01.11.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 01.11.2024 से दिनांक 15.01.2025 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 01.11.2024 से दिनांक 31.01.2025 तक

निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं Draft Proposal Lock, Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

नोट :-

1. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक नंबर की ही प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2024-25 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से OTR की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय की जानी है। OTR की प्रविष्टि के संबंध में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को प्रक्रिया की जानकारी प्रदाय की जावे।
3. वर्ष 2024-25 से संस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार Geo-Tagging किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा Geo-Tagging नहीं किया जावेगा, उक्त संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जावेगी।

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास, धमतरी

कमश:.....2.....